आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 235/2021 (रिव्यू प्रार्थना पत्र)

मैसर्स अनामिका कन्डक्टर्स प्रा॰ लि॰ द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर श्री शरद बाकलीवाल

पता– बी–70, उपासना हाउस, द्वितीय फलोर, राजेन्द्र मार्ग, बापूनगर, जयपुर ।

बनाम

प्रार्थी

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेन्ट ब्रान्च–1, 12 वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग 1, टोलस्टाय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सपठित
आदेश 47 नियम 1 सी॰पी॰सी॰

उपस्थित–

1. श्री अनोल व्यास अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री रवि कुमार शर्मा एवं श्री मनीष शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी बैंक की ओर से ।

आदेश दिनांक 06.01.2022

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अधिवक्ता ने इस न्यायालय मे धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 335/2020 (किस्म धारा 14 सरफेशी एक्ट) ब उनवानी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बनाम मैसर्स अनामिका कन्डक्टर्स में पारित आदेश दिनांक 04.03.2021 को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी वित्तीय बैंक को नोटिस जारी किया गया। मूल मिसल शामिल की गई। अप्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से रवि शर्मा अधिवक्ता उपस्थित है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

4- प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि बैंक द्वारा प्रस्तुत धारा 14 के प्रार्थना पत्र पर ऋणियों को नोटिस जारी किये गये ओर उसके बाद उक्त ऋणियों की तरफ से अधिवक्ता श्री चन्द्रहास चौधरी ने वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत किया तथा धारा 14 सरफेशी एक्ट के प्रार्थना पत्र को माननीय ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष एक विवाद विचाराधीन होने के कारण लम्बित रखने का निवेदन किया है। उक्त निवेदन के सम्बन्ध में कहा गया कि सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है और बैंक द्वारा सरफेशी की कार्यवाही में कोई विधिक बाधा नहीं है। इस सम्बन्ध में धारा 14 के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 18.02.2021 को सभी पक्षो की बहस सुनी गई और माननीय न्यायालय द्वारा उक्त बहस पर आदेश रिजर्व रख लिया गया। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना उचित होगा कि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को सुरक्षित करने के पश्चात

मजिस्ट्रेट
र) जयपुर

दिनांक 24 फरवरी 2021 को बैंक के विरुद्व अन्तरिम आदेश पारित करते हुये आगामी पेशी तक प्रार्थी के विरूद्व कोई भी कार्यवाही करने हेतु रोक लगा दी गई। प्रार्थी द्वारा अपने पत्र दिनांक 26 फरवरी 2021 के जरिये आदेश दिनांक 24.02.2021 की जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को उपलब्ध करा दी गई। यहां यह भी अंकित करना उचित होगा कि माननीय ऋण वसूली अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2021 की जानकारी माननीय न्यायालय के समक्ष जरिये पत्र दिनांक 26.02.2021 भी उपलबध करा दी गई, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व त्रुटि वश माननीय न्यायालय द्वारा ऋण वसूली अधिकरण जयपुर द्वारा पारित आदेश पर गोर नहीं किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 04.03.2021 पारित किये जाते समय माननीय ऋण वसूली अधिकरण द्वारा पारित ओश प्रभावी था और इसी कारण से आक्षेपित आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। माननीय ऋण वसूली अधिकरण के द्वारा पारित आदेश माननीय न्यायालय को दिनांक 26.02.2021 को ही उपलब्ध करा दिया गया था और विना उक्त आदेश पर गौर किये माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.03.2021 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रस्तुत आवेदन के पश्चात ऋण वसूली अधिकरण द्वारा पारित आदेश प्रभावी था और जिसके कारण माननीय आदेश द्वारा उपरोक्त आदेश दिनांक 04.03.2021 पारित नहीं किया जा सकता है। अतः आदेश दिनांक 04.03.2021 के निर्णय पर पुनः विचार किया जावे और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज फरमाया जावे।

5- अप्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि पूर्व मे पारित आदेश माननीय ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के अध्यधीन पारित किया गया। बैंक द्वारा माननीय ऋण वसूली अधिकरण के आदेशानुसार ही कार्यवाही की जावेगी। माननीय ऋण वसूली अधिकरण ने जिला मजिस्ट्रेट को किसी तरह का कोई आदेश नही दिया है। पूर्व में पारित आदेश उचित है। अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। पूर्व में आदेश दिनांक 04.03.2021 पारित किये जाते समय प्रार्थी द्वारा केवल माननीय ऋण वसूली अधिकरण में मामला विचाराधीन होने का कथन किया गया था, किन्तु किसी प्रकार का स्थगन आदि पेश नहीं किया गया। फिर भी इस न्यायालय द्वारा माननीय ऋण वसूली अधिकरण के आदेश के अध्याधीन रखते हुये दिनांक 04.03.2021 को धारा 14 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। माननीय ऋण वसूली अधिकरण द्वारा इस न्यायालय को कोई निर्देश नहीं दिये गये है। इसलिए इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 335/2020 व उनवानी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बनाम मैसर्स अन्नामिका कन्डक्टर्स प्रा.लि. में पारित आदेश दिनांक 04.03.2021 में किसी प्रकार के पुनर्विचार व हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप प्रार्थी का धारा 114 सिविल प्रकिया संहिता सपठित आदेश 47 नियम 1 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

8. निर्णय की प्रति हस्व कायदा संबंधित को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. आदेश आज दिनांक 06.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

6/1/22

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर